न्यायालय जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर

विविध (बाजदायरी) प्रा.पत्र संख्या– 23/23 सन् 2023

GCMS No. 2023/155

बउनवानी :– अशोक पुत्र नारायण बैरवा निवासी ठींगला तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(प्रार्थना पत्र बाजदायरी विरूद्व आदेश दिनांक 14.8.2019 के द्वारा मुतफर्रिक प्रार्थना पत्र संख्या 31/2015 को अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज किया गया था को पुनः नम्बर पर लेकर सुनवायी करने बाबत।)

उपस्थित : 1. श्री रिषीराम मीना — वकील प्रार्थी

2. श्री विनोद कुमार शर्मा (नायब तहसीलदार) — पैरोकार राजस्व

–: निर्णय :– दिनांक 30.04.2024

प्रार्थी की ओर से यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 14.8.2019 के विरूद्व इस कथन के साथ पेश किया गया है कि उक्त आदेश से प्रार्थना पत्र संख्या 31/2015 उनवानी अशोक बनाम सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी मे खारिज किया गया है को अपास्त कर उक्त प्रकरण मे पुनः नम्बर पर लिये जाने बाबत निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सुनवायी हेतु तलब किया गया एवं जिला अभिलेखागार से मूल प्रार्थना पत्र की मिसल तलब की जाकर बहस प्रार्थी व पैरोकार राजस्व सुनी सुनी गयी।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र संख्या 31/2015 अशोक बनाम सरकार जो कि अन्तिम बहस हेतु नियत था उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 14.8.2019 को अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज कर दिया गया था जबकि दिनांक 14.8.2019 को प्रार्थी पीलिया हो जाने की वजह से चलने फिरने की कतई हालत नही होने के कारण प्रार्थी न्यायालय मे उपस्थित नही हो सका तथा प्रार्थी का वकील अन्य अदालत मे व्यस्त होने के कारण वरवक्त आवाज माननीय न्यायालय मे उपस्थित नही हो सका। उक्त प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी मे खारिज होने की सूचना मेरे वकील द्वारा मुझे नही दी गयी थी। प्रार्थी दिनांक 17.10.2023 को सवाईमाधोपुर कलेक्ट्रेट मे आकर अन्य वकील से उक्त प्रकरण की तलाश करवायी जाने पर प्रार्थी के प्रकरण की दिनांक 14.8.2019 को अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज होने की जानकारी प्राप्त हुई। दिनांक 18.10.2023 को आदेश दिनांक 14.8.2019 की नकल लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की जाकर दिनांक 30.10.2023 को यह प्रार्थना पत्र जानकारी से अन्दर मयाद पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रकरण संख्या 31/2015 को पुनः नम्बर पर लिया जाकर सुनवायी किये जाने बाबत वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:06:30 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

विविध (बाजदायरी) प्रा.पत्र संख्या– 23/23 उनवानी अशोक बनाम सरकार

विद्वान पैराकार राजस्व द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य निराधार है। प्रार्थी द्वारा दिनांक 14.8.2019 को पीलिया से पिडित होना बताया गया है किन्तु कथन के समर्थन में कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र इत्यादि पेश नही किया गया है। इसके अतिरिक्त प्रकरण संख्या 31/2015 की आदेशिका का मुलाहिजा करने पर प्रकरण आदेशिका दिनांक 1.8.2017 से वास्ते बहस नियत था परन्तु वकील प्रार्थी द्वारा क्रमशः दिनांक 26.12.2017,13.3.2018, 24.4.2018, 6.8.2018, 30.10.2018, 6.5.2018,27.5.2018 (लगभग 7 बार) बहस हेतु समय चाहे जाने पर न्यायालय द्वारा बहस हेतु वकील प्रार्थी को समय दिया गया परन्तु समय दिये जाने के उपरान्त भी वकील प्रार्थी द्वारा बहस नही करने पर वकील प्रार्थी को दिनांक 19.6.2019 को बहस हेतु अन्तिम अवसर दिया गया इसके पश्चात पुनः दिनांक 8.7.2019, 22.7.2019 को बहस हेतु समय दिया जाने के उपरान्त भी बहस नही करने पर दिनांक 5.8.2019 को बहस हेतु पुनः अन्तिम अवसर दिया गया। इस प्रकार वकील प्रार्थी को बहस हेतु लगभग 9 बार अवसर दिया गया है तथा दो बार अन्तिम अवसर दिया गया किन्तु वकील प्रार्थी द्वारा बहस नही की गयी है। प्रार्थी वकील को अपनी बहस सुनाने बावत न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 1.8.2017 से 5.8.2019 तक कुल 11 बार समय दिया जाने के उपरान्त भी न्यायालय मे उपस्थित नही होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण संख्या 31/2015 अदम हाजरी अदम पैरवी मे दिनांक 14.8.2019 को खारिज हुआ है तथा प्रार्थी द्वारा बाजदायरी प्रार्थना पत्र दिनांक 30.10.2023 को लगभग 4 वर्ष बाद विलम्ब का कोई उचित कारण बताये बिना पेश किया है। उक्त आदेश मे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी एवं पैरोकार राजस्व की और से प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि प्रार्थी वकील को अपनी बहस सुनाने बावत न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 1.8.2017 से 5.8.2019 तक कुल 11 बार समय दिया गया है जिसमे से 2 बार अन्तिम अवसर भी दिया गया है किन्तु स्वंय प्रार्थी अथवा वकील प्रार्थी नियत दिनांक 14.8.2019 को न्यायालय मे उपस्थित नही होने के कारण उक्त बाजदायरी प्रार्थना पत्र से संबंधित प्रकरण संख्या 31/2015 उनवानी अशोक बनाम सरकार को अदम हाजरी अदम पैरवी मे दिनांक 14.8.2019 को खारिज किया गया है जो विधिसम्मत है, क्योकि तत्समय न्यायालय हाजा द्वारा वकील प्रार्थी को सुनवायी हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया था। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी द्वारा यह बाजदायरी प्रार्थना पत्र लगभग 4 वर्ष की देरी से पेश किया गया है तथा दफा 5 के प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने स्वंय को दिनांक 14.8.2019 को पीलिया रोग से ग्रसित होना बताया गया है किन्तु इससे पूर्व भी प्रार्थी को सुनवायी हेतु लगभग 10 अवसर दिये जाने चुके है इस प्रकार बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे हुई 4 वर्ष की देरी का भी प्रार्थी द्वारा उचित एवं संतोष जनक कारण भी नही बताया है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत बाजदायरी प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को लिखवाया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:06:30 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner